



**FLUIDOMAT
LIMITED**

Head Office & Works : 7C-8J, I. S. Gajra Industrial Area I, A. B. Road, DEWAS - 455 001 (M.P.) INDIA
Phone : + 91-7272-268100, 258582, 258583. Fax : 91-7272-258581
Email : info@fluidomat.com Website : www.fluidomat.com
CIN No : L74210MP1978PLC001452



FL/SE/DKS/2025-26

11th June, 2025

Online Filing at www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager
DCS-CRD
BSE Ltd.
Rotunda Building
P.J. Tower, Dalal Street, Fort
MUMBAI - 400001

BSE CODE: 522017

Subject: Submission of Press Clipping related to notice to the shareholders for transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) demat account

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A Point No. 12 of SEBI (LODR) Regulation, 2015 and in compliance of rule 6 (3) of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and refund) Rules, 2016.

We herewith enclose the newspaper notice published on 11th June, 2025 in Free Press Journal English edition and Chotha Sansar Hindi edition for the shareholders, who have not claimed their dividend for seven or more consecutive years and whose shares are liable for transfer to the IEPF demat account.

You are requested to please take on record the above for your reference and record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For, FLUIDOMAT LIMITED

DEVENDRA KUMAR SAHU
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER
Encl.: a/a

राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला
को आयोजन से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र
मोदी देश को अग्रणी बनाने के स्वप्न

समाधान किया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मण्डलोई ने
कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रयास

के सांसद श्री अशोक यादव, प्रबंध संचालक श्री
अविनाश लवानिया, निवेशक और अन्य वरिष्ठ
अधिकारी उपस्थित थे।



मंत्रि डॉ. यादव ने किया भ्रम पुस्तक का विमोचन

रा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदम...
2047 संदर्भ पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन के अवसर पर उप मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी
पुस्तक के संकलन कर्ता ऊनमीत सिंह नारंग उपस्थित थे।

तिरुमला प्राइड एक्सटेंशन कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों के आवंटन के सम्बंध में सूचना

मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी इज्जर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तें नियम 1998
के प्रावधानों के अंतर्गत हमारे द्वारा ग्राम भानगढ़, तहसील जिला इन्दौर में स्थित सर्व क्रमांक
45/4/2, 45/1/2 रकबा 1.745 हेक्टेयर भूमि पर "तिरुमला प्राइड एक्सटेंशन" कॉलोनी में
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों को विक्रय /
आवंटन नियम में निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाना है। इस हेतु उपरोक्त आरक्षित
भूखण्डों के आवंटन / विक्रय हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित किया
जाना है:

पात्रता की शर्तें-

1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल
निवासी प्रमाण पत्र)
2. आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के आरक्षित भूखण्डों की
पात्रता हेतु कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग का होना आवश्यक है (सक्षम राजस्व
प्राधिकारी द्वारा जारी / स्वप्रमाणित वार्षिक आय प्रमाण पत्र)
3. भूखण्डों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप आवेदन प्रपत्र एवं शर्तें रूपये 100/- जमा
करवाकर दिनांक प्रकाशन से 7 दिवस में समय 10:30 से 5 बजे तक साइड कार्यालय से
प्राप्त किये जा सकेंगे।
4. कोई भी आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नियम, 1998 के
अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अथवा संस्थान को होगा इनका कोई कारण नहीं दर्शाया जायेगा।
5. उक्त सभी दस्तावेज की छायाप्रति स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न
करना आवश्यक है।
6. कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के आरक्षित भूखण्डों की लागत प्रावधानित नियमों के
अनुसार होगी।
7. आरक्षित भूखण्डों का आवंटन कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग को लॉटरी के आधार
पर किया जावेगा। पहले आवेदक पहले पावे आधार पर।
8. आवेदक के स्वयं / परिवार के पास म.प्र. में कोई भूखण्ड / भवन नहीं है इस आशय का
शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उपरोक्त समस्त दस्तावेज लेकर इच्छुक आवेदनकर्ता
निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं।

भेसर्स: टारगेट हाउसिंग

201, तिरुमला कॉंपैरिट, 5/5 न्यू पलासिया, इंदौर (म.प्र.)

मूल विधान संरक्षण

कॉलोनी में वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी
जनके सानिध्य में संपन्न हुआ था। उस
पौरान मुनि श्री समत्व सागर जी ने
संरक्षण व्रत लेकर संघ में प्रवेश किया
गा।

भव्य होगी आगवानी, महिला
मंडल व बच्चों की भागीदारी-
वेदिशा में विराजमान मुनि श्री समर्थ
सागर जी और मुनि श्री शील सागर जी
के सानिध्य में आचार्य श्री की भव्य
आगवानी होगी। इसमें 20 महिला मंडल
और 8 प्राठशालाओं के बच्चे भाग लेंगे।
गाहरभर में तोरण द्वार, रंगोली, बैनर
और पोस्टर से वातावरण को धार्मिक रंग
में रंगा जाएगा।

प्रेस-वार्ता में एडवोकेट सुरेशचंद्र
जैन, सकल दिगंबर जैन समाज के
अध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरी, मंत्री प्रदीप जैन
(एलआईसी), संजय सेठ, और
श्रीमप्रकाश जैन मौजूद रहे।

फ्लूडोमेट लिमिटेड

(CIN: L74210MP1978 PLC001452)

पंजीकृत कार्यालय: 117 प्रथम तल, नवनीत दर्शन 16/2 आल्ड पलासिया इंदौर-4520018

फोन नं 07272-268103

ईमेल info@fluidomat.com वेबसाइट www.fluidomat.com

सूचना

कंपनी के समता अंशों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरण (आई.ई.पी.एफ.)

एतद द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष अधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम 2016
(आई.ई.पी.ए.नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु घोषित लाभांश जो सात वर्ष की अवधि से बिना भुगतान या दावा रहित है, आई.ई.पी.एफ.
में 24 नवम्बर 2025 या इससे पूर्व हस्तांतरित कर दिया जायेगा। संबंध समता अंश जिन पर लाभांश सात लगातार वर्षों से बिना भुगतान या दावारहित था, को
भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जावेगा। आई.ई.पी.एफ. नियमों के अनुसरण में कम्पनी द्वारा संबंध अंश धारकों, जिनके समता
अंश उक्त आई.ई.पी.एफ. नियमों के अंतर्गत आई.ई.पी.एफ. में हस्तांतरित किये जाने हैं, को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है। कंपनी द्वारा ऐसे
अंश धारकों एवं समता अंशों जो आई.ई.पी.एफ. खाते में हस्तांतरण योग्य है का पूर्ण विवरण, ऐसे समता अंशों पर बिना भुगतान या दावा रहित लाभांश के विवरण
सहित, कंपनी की वेबसाइट www.fluidomat.com/InvestorInformation पर अपलोड कर दिया है सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-
18 व पश्चातवर्ती लाभांश का दावा इनके आई.ई.पी.एफ. में हस्तांतरण से पूर्व करें।

इस संबंध में नोट करे कि -

1. सदस्य जिनके पास समता अंश भौतिक रूप में है कंपनी द्वारा समता अंशों को आई.ई.पी.एफ. में हस्तांतरित करने हेतु उनके मूल शेयर प्रमाण पत्रों की जगह
नये प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे एवं इस प्रकार के मामले में कंपनी द्वारा कार्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को नये प्रमाणपत्रों को डिमिट में बदलने तथा
आई.ई.पी.एफ. में हस्तांतरित करने हेतु सूचित किया जायेगा एवं मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।
2. सदस्य जिनके पास समता अंश डिमिट प्रारूप में है कंपनी कार्पोरेट एक्शन द्वारा डिपॉजिटरी को समता अंशों को आई.ई.पी.एफ. के डिमिट खाते में हस्तांतरित
करने हेतु सूचित करेगी।

यदि कंपनी को संबंधित सदस्यों से बिना भुगतान या दावा रहित लाभांशों हेतु दावे आवश्यक प्रपत्रों सहित 25 अक्टूबर 2025 या पूर्व तक प्राप्त नहीं होते हैं
तो कंपनी द्वारा आई.ई.पी.एफ. नियमों की अनुपालना में बिना भुगतान / दावा रहित लाभांश को 24 नवम्बर 2025 या पूर्व तक आई.ई.पी.एफ. में संबंधित
समता अंशों को भी बिना सूचना दिये हस्तांतरित कर दिया जावेगा। कृपया नोट करे कि बिना भुगतान या दावा रहित लाभांश राशि एवं आई.ई.पी.एफ. को
हस्तांतरित समता अंशों हेतु कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

अपने शेयरों को आई.ई.पी.एफ. में स्थानांतरित होने से बचाने के लिए, कोई भी सदस्य जिसका नाम उल्लिखित सूची में दिखाई दे रहा है आवश्यक दस्तावेजों
के साथ एक अनुरोध पत्र कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट अंकित कान्सलटेंसी प्रा.लि., 60 इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स, परदेशीपुरा के पास इंदौर-
452010 फोन 0731-2551745/46, 0731-4065797/99 ईमेल Investor@ankitonline.com पर भेजना होगा।

सदस्य आई.ई.पी.एफ. को हस्तांतरित लाभांश एवं समता अंश दोनों तथा ऐसे समता अंशों पर उपाजित सभी लाभ यदि हों के लिये फार्म IEPF-5 में
आई.ई.पी.एफ. को ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र है, जो वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है एवं कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एवं इसके नोडल
अधिकारी को उपयुक्त हस्ताक्षरित भौतिक प्रति में आवेदन फार्म IEPF-5 में घोषित आवश्यक प्रपत्र सहित भेजकर प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: इंदौर

दिनांक: 10/06/2025

वास्तव,

फ्लूडोमेट लिमिटेड

देवेन्द्र साहू

कंपनी सचिव

ACS: 31933

Karunamithi from the Dravida Munnetra Kazhagam and Supriya Sule from the Nationalist Congress Party (Sharatchandra Pawar) - all three parties being constituents of the INDIA bloc. Apart from this two MPs were picked from among BJP's NDA allies to lead the delegations-- Sanjay Kumar Jha from the Janata Dal United and former Maharashtra chief minister Shrikant Khnath Shinde from the Shiv Sena.

Former union minister Ravi Shankar Prasad and MP Baijayant Panda, who is also the BJP's national vice president, were chosen to lead. The selection process as per Rijju was aimed at sending a "powerful reflection of national unity above politics, beyond differences".

Benefits for ...
The elevation will be done on the basis of vacancies. According to the formula, if a post of the general category falls vacant, SC/ST candidates will be promoted on the grounds of their seniority. In case there is a vacancy in the SC/ST category, the posts will remain vacant. In terms of seniority, the employees of the SC/ST category will get the benefits of this formula.

The UN rep, India in a group income country going rapid decline, with 11 doubling in 79 years. Austria's Christian Storz announced in days of nation flag lowered and a national mourning at Wednesday. It was a dark history of our photos from showed a large employment, in at least one heli emergency around the sci President Van der Balle "this horror captured in w... These we people who whole lives them. A teach accompanied their way," he "Schools ar for youth, ho future," Euro mission Presi von der Leye: X. "It is har when school places of deat ence." Graz, second-bigg ecated in the country about 300,00 ants.

Guntur district on Tuesday sent senior journalist and Sakshi TV anchor Kommineni Srinivasa Rao to judicial custody for 14 days in a case registered against him for alleged derogatory remarks against women of the state capital, Amaravati, during a show on the channel. The journalist was produced before a court in Mangalagiri, which sent him to judicial custody. He was subsequently shifted to the Guntur district jail.

FLUIDOMAT LIMITED

(CIN: L74210MP1978PLC001452)

Regd. Office: 117, 1st Floor, Navneet Darshan, 16/2, Old Palasia, Indore (MP) 452018
Contact: 072722 268103, Email: info@fluidomat.com Website: www.fluidomat.com

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IETF)

NOTICE is hereby given to Shareholders of the Company that pursuant to the provisions of Section 124(d) of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended, equity shares of those Members who have not encashed or claimed dividend for 7 (seven) consecutive years or more are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IETF") thus, the dividend declared on the equity shares of Rs. 10/- each declared for a period of seven years will also be credited to the Investors Education and Protection Fund (IETF) on or before November 24, 2025. Further, that the resultant Equity Shares of Rs. 10/- each on which dividend was undrawn in compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares are available to be transferred to IETF, are also made available on our website at www.fluidomat.com. Therefore, the Shareholders of the Company are requested to claim the dividend declared for the financial year 2017-18 on or before 25th October, 2025 to avoid transfer of shares to the IETF.

In this connection, concerned Members may please note the following:-
(a) For Members holding shares in physical form - Concerned Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IETF, may note that the Company would be issuing new share certificate in lieu of the original certificate held by them for the purpose of transfer of shares to IETF and the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new share certificate into demat form and transfer in favour of IETF. Further that the original share certificate which is registered in the name of original shareholders and transferred to the IETF will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.
(b) For Members holding shares in electronic form - Their demat account will be debited for the shares liable for transfer to IETF and the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the demat account of the IETF. In order to avoid transfer of your shares to the IETF, any Member whose name is appearing in the list mentioned in website shall send a request letter along with documents required by Registrar & Share Transfer Agent (RSTA) to M/S. Ankit Consultancy Pvt. Ltd at 60, Electronic Complex, Near Panchsheel, Indore (M.P.) 452010 Phone: 0731-2551745/46 and/or 0731-4065797/99. E-mail: investor@ankitonline.com. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 25th October, 2025, Company shall transfer the resultant Shares and Dividend in the account of IETF pursuant to the provisions of the Act and the Rules, without any further notice.

Please note that no claim shall be against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to the IETF. However, any person whose shares and unpaid dividends transferred to the IETF may claim the shares and dividend from the Investor Education and Protection Fund Authority ("IETF Authority") pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Act by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website www.iefp.gov.in.

Place: Indore (M.P.)
Date: 10.06.2025

FOR: FLUIDOMAT LIMITED
DEVENINDIA KUMAR SAHU
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER
ACS-31993

विक्रम अटिस्टा एडवोकेट
244, गीतल नगर, मंडला नगर के सामने कानोडा रोड
इंदौर (म.प्र.), मो. 94799-01600, 93032-31600

Initiate process of electing

Proposed amount of Contract	₹1,00,00,000/-
Purchase of Tender Start Date	10/06/2025
Pre-Bid Meeting Date	17/06/2025
Last date for submission of Technical and Financial Bid (Online)	01/07/2025 upto 17:00 hrs

For more details, please visit <https://www.mptenders.gov.in/>
Corrigendum or amendments

काराजल वनमण्डल अधिकारी,
खण्डवा उद्यान वनमण्डल (म.प्र.)
दूरभाष क्रमांक 0733-2223221, ईमेल Khandwap@mproforest.org
क्रमांक / खेर / 5212
खण्डवा, दिनांक 06/06/2025

उत्पादन वनमण्डल खण्डवा को प्रायः नवीन एक शासकीय बाग़न (ट्रक) में केवलिन बालू बोझी निर्यात कार्य हेतु ई-निविदा प्रस्तावित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :-
कार्य का विवरण

क्र. सं	कार्य का विवरण	स्थानिकीकरण	अनुमानित मात्रा
1	Complete Installation of Cabin and Body on trucks chassis as per specification, Installation will include both material and labor costs.	1. Truck Model TATA LPT 1923BSVI 2. LPT 1923BSVI Cabin complete with steel Angle Jaal fabrication Wooden Back with 14 Gauge sheet with Balra cabin Interior with seal wiring and paint.	आवश्यकतानुसार
2	3. Body with 65X5 Angle pole, 5X2 Channel, 5 mm Floor, Both side 30 Folding Dala with 12 Gauge sheet and 3. Channel Frame with Back Side wooden Dala feed with 50X5 Angle and Paint: All Material Should conform to BIS Standards.		

ऊपर दी गयी सामग्री सामग्री हेतु प्रयासकर्ताओं से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
ई-निविदा संबंधित सामग्री हेतु जानकारी एवं दस्तावेज वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर प्रकाशन दिनांक 06.06.2025 से दिनांक 20.06.2025 को सत्र 05.00 बजे तक देनी / प्रायः की जा सकती है। निविदा में सही प्रकार के संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाती है। निविदा का अंतिम स्वीकृत मूल्य राशियाँ रुपये 4,50,000/- हैं।

क्र. सं	दिनांक	विवरण
1	06/06/2025	Published Date
2	06/06/2025	Document Download/Sale Start Date
3	06/06/2025	Bid Submission Start Date
4	20.06.2025	Bid Submission Closing Date
5	24/06/2025	Bid Opening Date

व्यक्ति की प्रस्ताव में अंतिमता को प्राथमिकता देना होगा।
उत्पादन वनमण्डल खण्डवा